



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223084
CG-DL-E-17112020-223084

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3563]
No. 3563]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

होलम्बी कलां में केमिकल ट्रेडर्स को भूमि के आबंटन के लिए वर्ष 2019-20 हेतु पूर्व निर्धारित दर (पी.डी.आर.) का निर्धारण।

का.आ. 4046(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा होलम्बी कलां में केमिकल ट्रेडर्स को भूमि के आबंटन के लिए वर्ष 2019-20 हेतु 25,568/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की पूर्व निर्धारित दर (पी.डी.आर.) अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग एवं अधिभोग प्रभार के रूप में 4.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से राशि भी वसूल की जाएगी।

संबंधित ट्रेडर्स के लिए भुगतान करने और भूमि का कब्जा लेने का यह अंतिम अवसर होगा।

[फा.सं. 100 (166)2000/सीएल/वोल्यूम.IV]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2020

Fixation of Predetermined rate (PDR) for the year 2019-20 for allotment of land to chemical traders at Holambi Kalan.

S.O. 4046(E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby notifies the Predetermined Rate (PDR) for the year 2019-20 at Rs. 25,568/- per sq. mtr for allotment of land to chemical traders at Holambi Kalan. Further, a sum of Rs.4.80 per sq. mtr shall also be recovered towards Use and Occupation charges.

This will be the last opportunity to concerned traders to make the payment and take over the possession of land.

[F. No. 100(166)2000/CL/Vol. IV]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.